न्यायालयः–विशिष्ठ न्यायाधीश अ.जा./ज.जा.(अ.नि.प्र.) बारां, जिला–बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– **लोकेश कुमार शर्मा, (RJS–DJ CADRE)**

निर्णय दिनांकः– **30.03.2026**

सेशन प्रकरण संख्याः– **05/2018**

सी.आई.एस. नंबरः– **07/2018**

सी.एन.आर. नंबरः– **RJBR050000152018**

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याः– 370/2017, **पुलिस थानाः– अन्ता**, जिला–बारां

अपराध अंतर्गत धाराः– 341, 323, 308 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति(अ.नि.) अधिनियम 1989

PART–I

A

परिवादी	राज्य सरकार
प्रतिनिधित्व द्वारा	विशिष्ठ लोक अभियोजक
अभियुक्त/अभियुक्तगण	बजरंगलाल पुत्र मूलचन्द माली, उम्र–61 साल (वर्तमान उम्र–68 साल), निवासी–भौराझेड़ी, थाना–अन्ता, जिला–बारां (राज.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता– श्री जितेन्द्र नागर

B

अपराध की दिनांक	26.09.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	26.09.2017
आरोप पत्र की दिनांक	06.01.2018
आरोपों की विरचना की दिनांक	14.09.2018
साक्ष्य प्रारंभ करने की दिनांक	14.09.2018
निर्णय सुरक्षित किये जाने की दिनांक	30.03.2026
निर्णय की दिनांक	30.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की दिनांक	30.03.2026

C– अभियुक्त/अभियुक्तगण का विवरणः–

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमनात पर रिहा होने की तिथि	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के तहत अभिरक्षा में व्यतीत की गयी अवधि
01	बजरंगलाल	07.10.2017	09.10.2017	341, 323, 308 भा.दं.सं. व धारा 3(2)(va) Sc/St act	धारा 341, 323 भा.दं.सं. में दोषसिद्ध व शेष धाराओं में दोषमुक्त	पैरा संख्या 47 व 48 के अनुसार	दिनांक 07.10.2017 से 09.10.2017 तक

PART–II

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्ष्य की सूचीः–

A. अभियोजन साक्ष्यः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
P.W. 01	बुद्धिप्रकाश	परिवादी/आहत साक्षी
P.W.02	ढोल कंवर	पंच साक्षी
P.W.03	विष्णु	पंच साक्षी
P.W.04	आकाश	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.05	ब्रजबिहारी	पुलिस साक्षी
P.W.06	डॉ. कमल मीणा	चिकित्सकीय साक्षी
P.W.07	कस्तूरी बाई	प्रत्यक्षदर्शी साक्षी
P.W.08	गोविन्द सिंह	अनुसंधान अधिकारी/पुलिस साक्षी
P.W.09	दीपेन्द्र सिंह	पुलिस साक्षी

B. प्रतिरक्षा साक्ष्य, यदि कोई हो तो–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

C. न्यायालय साक्ष्य, यदि कोई हो तोः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी,

		विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्श की सूचीः–

A. अभियोजन प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
01	प्रदर्श पी.01/PW.01	पर्चा बयान
02	प्रदर्श पी.02/PW.01	नक्शा मौका
03	प्रदर्श पी.04/PW.05	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
04	प्रदर्श पी.05/PW.05	फर्द जब्ती सरिया
05	प्रदर्श पी.06/PW.05	नक्शा मौका बरामदगी स्थल
06	प्रदर्श पी.07/PW.06	चोट प्रतिवेदन आहत
07	प्रदर्श पी.08/PW.06	एक्सरे कवर नोट
08	प्रदर्श पी.09 व 10/PW.06	एक्सरे प्लेट
09	प्रदर्श पी.11/PW.07	बयान धारा 161 दं.प्र.सं. कस्तूरी बाई
10	प्रदर्श पी.12/PW.08	फर्द सूचना धारा 27 साक्ष्य अधि.
11	प्रदर्श पी.13/PW.09	मालखाना रजिस्टर

B. प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

C. न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

D. वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निल	निल	निल

PART–III

1– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 26.09.2017 को परिवादी/आहत बुद्धिप्रकाश द्वारा राजकीय चिकित्सालय अंता में श्री स्वागत पाण्डेय ए.एस.आई. थाना अंता को पर्चा बयान इस आशय के दिये गये कि वह गांव भौंराजेड़ी का रहने वाला है एवं ऑटो चलाने व पढ़ाई का काम करता है। दिनांक 26.09.2017 को वह सुबह फ्रेश होने जैसे ही बजरंगलाल माली के मकान के सामने से गुजरा तो बजरंगलाल माली आया व कहा कि मेहरड़े, नीच जाति इतना कह कर उसे आड़े फिर कर रोक लिया व उसके हाथ के लोहे के सरिये की उसके सिर में मारी, जिससे उसके सिर में खून आ गया एवं वह बेहोश होकर गिर गया। फिर आसपास के लोगों ने इस बात की जानकारी उसके घर पर दी तब उसका भाई विष्णु प्रसाद व उसके पिताजी ढोल कंवर उसे ऑटो में लेकर अंता अस्पताल में आये। बजरंगलाल माली द्वारा उसके साथ मारपीट सुबह 07–07.30 ए.एम. पर की थी। उसके शरीर पर आयी हुई चोटें बजरंगलाल माली द्वारा की गयी मारपीट से आयी हैं,...........इत्यादि।

2– उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना अन्ता द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **370/2017 अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 308 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(s), 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

3– बाद आवश्यक अनुसंधान दिनांक 06.01.2018 को अभियुक्त बजरंगलाल के विरूद्ध आरोप पत्र अपराध अंतर्गत धारा **341, 323, 308 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।

4– बहस चार्ज सुनी जाकर अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अंतर्गत धारा **341, 323, 308 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप विरचित करने के आधार होने के कारण पृथक से उक्त धाराओं में आरोप विरचित कर अभियुक्त को सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त द्वारा आरोप सुन व समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। साक्ष्य अभियोजन समाप्ति के पश्चात अभियुक्त को अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 के तहत परीक्षित किया गया, जिसमें अभियुक्त ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए स्वयं को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाना कथन किया और साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा, जिस पर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

5– बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– प्रकरण के निस्तारण के लिए न्यायालय के समक्ष मुख्य रूप से विचारणीय बिन्दु यह रहे हैं कि:–

(i) आया कि अभियुक्त द्वारा लोहे के सरिये से परिवादी/आहत बुद्धिप्रकाश के सिर में इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में चोटें कारित की कि यदि आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता?

(ii) आया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी/आहत बुद्धिप्रकाश को उसकी इच्छित दिशा में जाने से रोक कर उसका सदोष अवरोध कारित किया तथा उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की?

(iii) आया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली–गलौंच कर अपमानित या अभित्रस्त किया तथा जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया?

(iv) आया कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए अधिनियम की अनुसूची में आने वाला धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध कारित किया ?

(v) यदि हां तो उसका उचित दंडादेश क्या होगा?

7– उक्त विचारणीय बिन्दुओं के संदर्भ में दौराने बहस विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक का कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया।

8– इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रकरण में गवाहों के बयानों में अत्यधिक अंतर और विरोधाभास है। परिवादी ने रिपोर्ट में लोहे के सरिया से मारपीट करना बताया है जबकि अपने बयानों में लोहे के पाईप से मारपीट करना बता रहा है। अन्य गवाहों के बयानों में भी परस्पर अंतर और विरोधाभास है। परिवादी द्वारा मारपीट किये जाने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं किया है। आहत के ऐसी कोई चोटें कारित नहीं हुई हैं, जिससे अभियुक्त द्वारा आपराधिक मानव वध किये जाने का आशय प्रकट होता हो। अभियुक्त से सरिया की जो बरामदगी बतायी गयी है, वह भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुई है। परिवादी/आहत का जाति प्रमाण पत्र भी पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया गया है। पत्रावली पर ऐसी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध

प्रमाणित होता हो। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जाए।

9– उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

10– प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है, उसमें पी.ड.01 बृद्धिप्रकाश जो प्रकरण में स्वयं आहत/परिवादी है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि दिनांक 26.09.2017 को सुबह सात–साढे सात बजे वह खेत पर गया था। वह खेत से सब्जी लेकर वापस आ रहा था तो बजरंगलाल माली के मकान के सामने पहुंचा तो बजरंगलाल ने उससे कहा कि मेहरडे व मां बहिन की व जातिसूचक गालियां दी तथा उसे आडे फिरकर रोक लिया तथा लोहे के पाईप से उसके सिर में मारी तो वह नीचे गिर गया तो उसके पडे–पडे के साथ भी मारपीट की। फिर वह गिरकर बेहोश हो गया। फिर उसकी काकी कस्तूरीबाई वहां आ गयी थी। उसकी काकी उसे घर पर ले गयी तथा वहां से अंता अस्पताल ले गये। उक्त गवाह ने पर्चा बयान प्रदर्श पी.01, नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **वह उसका असल जाति प्रमाण पत्र नहीं लेकर आया है। बजरंगलाल व उसके बीच पुराना कोई विवाद नहीं था।** उसकी काकी ने उसे घटनास्थल से उठा कर घर लाने की बात अस्पताल से घर आने के बाद बतायी थी। **घटना के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था।** यह कहना गलत है कि वह मोटरसाईकिल लेकर शौच करने गया हो और मोटरसाईकिल से गिरने से उसके चोटें आयी हों।

11– पी.ड. 02 ढोल कंवर जो परिवादी का पिता है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि आज से लगभग 6–7 साल पहले सुबह 6–7 बजे करीब उसका छोटा बेटा बुद्धिप्रकाश हाथ–मुंह धोने के लिए खेतों की तरफ बाड़ी में गया था। वापिस सब्जी लेकर घर आ रहा था तो चतुर्भुज के मकान के सामने पहुंचा तो सामने से बजरंगलाल उसके घर में से निकला और बुद्धिप्रकाश को रोक लिया। रोक कर जातिसूचक गाली–गलौंच की। उसके मना करने पर उसके साथ सरिया से सिर में चोट मारी, जिससे उसके खून निकल आया और नीचे गिर पड़ा। एक बच्चा हमारे घर पर भाग कर आया, जिसने बुद्धिप्रकाश के मारपीट की सूचना दी। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **घटना के समय वह घर पर सो रहा था। यह कहना सही है कि उसने मारपीट होते हुए नहीं देखी।**

12– पी.ड. 03 विष्णु जो परिवादी का भाई है, ने अपने बयानो में बताया है कि जब उसका भाई बाड़ी से वापस अपने घर आ रहा था, जैसे ही वो चतुर्भुज और बजरंगलाल के मकान के सामने पहुंचा तो बजरंगलाल ने उसे रोक लिया, जातिसूचक गालियां दी। गाली–गलौंच करने पर मना किया तो बजरंगलाल ने उसके लकड़ी या पाईप किसी की उसके सिर में मारी, जिससे वो मौके पर ही गिर पड़ा। उक्त गवाह ने नक्शा मौका प्रदर्श पी.02 पर अपने

हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि हमारा मकान घटनास्थल से कम से कम 250–300 फिट की दूरी पर है। **घटना के समय वह घर पर ही था। हमारी बजरंगलाल से किसी बात की रंजिश नहीं थी।**

13– पी.ड. 04 आकाश जो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है, जिसने अपने बयानों में कथन किया है कि सन् 2017 में सुबह 07 बजे करीब बुद्धिप्रकाश उसकी बाड़ी से सब्जी लेकर घर आ रहा था। वह घर से दुकानों की तरफ जा रहा था। जैसे ही बुद्धिप्रकाश चतुर्भुज के मकान के सामने पहुंचा तो बजरंगलाल उसके सामने खड़ा हो गया और गाली–गलौंच करने लग गया। बजरंगलाल ने उसके पास से लकड़ी की बुद्धिप्रकाश के सिर में मारी। इससे उसके खून निकल आया। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि मारपीट लकड़ी से हुई थी। गण्डासी, पाईप, सरिया से नहीं हुई थी। **यह उसे आज याद नहीं है कि मौके पर कितने व्यक्ति इकट्ठे हो गये थे, क्योंकि वह वहां से दूर चला गया था।** यह कहना गलत है कि उसने घटना नहीं देखी हो।

14– पी.ड. 05 बृजबिहारी ने फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम प्रदर्श पी.04 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है तथा अभियुक्त की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसार माल मशरूका एक सरिया मुल्जिम के रिहायशी मकान से जर्ये फर्द प्रदर्श पी.05 जप्त करना तथा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.06 होना और उक्त फर्दों पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि अधिक समय होने के कारण वह आज बरामदगी का समय नहीं बता सकता। यह सही है कि बरामदशुदा सरिया पर खून लगा हुआ नहीं था। बरामदगी स्थल टापरी है। यह कहना सही है कि बाउण्ड्री छोटी होने के कारण कोई भी व्यक्ति कूद कर आ सकता है।

15– पी.ड. 06 डॉ. कमल मीणा ने आहत बुद्धिप्रकाश की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.07 बनाना और उसमें अंकित पांचो चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बतायी हैं। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि **यह कहना सही है कि प्रदर्श पी.07 की कोई चोट प्राणघातक नहीं थी।** यह कहना सही है कि यदि कोई व्यक्ति चलती हुई मोटरसाईकिल से फिसल कर कठोर धरातल पर गिर जाये तो प्रदर्श पी.07 की समस्त चोटें आने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

16– पी.ड. 07 कस्तूरी बाई जो घटना के तत्काल पश्चात् मौके पर पहुंचना बता रही है, ने अपने बयानों में कथन किया है कि उसके भतीजे के साथ बजरंगलाल ने मारपीट की हो तो उसकी जानकारी में नहीं है। उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुई है, जिसने पुलिस बयान प्रदर्श पी.11 का ए से बी भाग गलत होना बताया है।

17– पी.ड. 08 गोविन्द सिंह जो प्रकरण में अन्वेषण अधिकारी है, ने दौराने अनुसंधान घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी.06 बनाना, गवाहान के बयान लेखबद्ध

करना, मजरूब की एमएलसी, एक्सरे, सीटी स्कैन करवा कर शामिल पत्रावली करना बताया है। अभियुक्त बजरंगलाल की धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसार घटना में प्रयुक्त लोहे का सरिया जर्ये फर्द प्रदर्श पी.05 जप्त करना बताया है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि पर्चा बयान प्रदर्श पी.01 उसके द्वारा लेखबद्ध नहीं किए गए, इसलिए वह नहीं बता सकता कि पर्चा बयान लेते समय वहां ड्यूटी डॉक्टर उपस्थित था या नहीं। बरामदगी करने के लिए कौन–कौन गये थे, आज उसे याद नहीं है। यह कहना सही है कि बरामदगी स्थल टापरी है। यह कहना गलत है कि टापरी खुला स्थान हो। टापरी के किवाड़ लगे हुए थे, लेकिन उस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। यह सही है कि सरिये पर खून लगा हुआ नहीं था।

18– पी.ड. 09 दीपेन्द्र सिंह ने फर्द जब्ती सरिया प्रदर्श पी.05 व नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.06 पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है तथा मुल्जिम बजरंगलाल से जप्त किये गये लोहे के सरिया आर्टिकल–01 की न्यायालय में पहचान की है। जिरह में इस गवाह ने कथन किया है कि यह सही है कि पुलिस कर्मियो के अलावा कोई स्वतंत्र गवाह जप्ती का नहीं है। जप्ती का समय दिन के 11 बजे का था। यह सही है कि सरिया पर खून नहीं लगा था।

19– साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के पश्चात हमारा पृथक–पृथक विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में विवेचन निम्न प्रकार हैः–

विचारणीय बिन्दु संख्या (i)–

20– साक्ष्य के उपरोक्त विश्लेषण के पश्चात हमें एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है। जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी के सिर पर इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में मारपीट कर चोटें कारित की कि यदि परिवादी/आहत की मृत्यु हो जाती तो अभियुक्त हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध का दोषी होता। इस संबंध में परिवादी द्वारा जो पर्चा बयान प्रदर्श पी.01 लेखबद्ध करवाया है। उसमें दिनांक 26.09.2017 को जब वह सुबह शौच से निवृत होकर घर आ रहा था तो रास्ते में अभियुक्त द्वारा उसके साथ लोहे के सरिये से मारपीट करना बताया है।

21– उक्त परिवादी बुद्धिप्रकाश पी.ड. 01 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित हुआ है, जिसने अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा लोहे के पाईप से उसके सिर पर मारना और नीचे गिर जाने पर पड़े–पड़े के साथ भी मारपीट करना बताया है। इस प्रकार परिवादी ने अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा उसके सिर पर एक चोट कारित करने का कथन किया है और बाद में पड़े–पड़े के साथ भी मारपीट करना बताया है।

22– पी.ड. 06 डॉ. कमल मीणा ने आहत बुद्धिप्रकाश की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.07 बनाना बताया है, जिसमें अंकित चोट संख्या एक 4X1 सेमी. X हड्डी की गहराई तक सिर पर दायीं ओर होना तथा चोट संख्या 02 दर्द व सूजन दायीं कोहनी के पीछे, चोट संख्या 03 नीलगू निशान पीठ पर दाहिनी ओर, चोट संख्या 04 दायें पैर पर तथा चोट संख्या 05 नीलगू निशान दायें कंधे पर होना बताया है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से भी आहत के मार्मिक अंग सिर पर केवल 01 ही चोट कारित होना प्रकट हो रहा है। उक्त चोट संख्या 01 मेडीकल ज्यूरिष्ट ने साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बताया है तथा अन्य सभी चोटें साधारण प्रकृति की होना व कुंद हथियार से कारित होना बताया है।

23– आहत के कारित चोट संख्या 01 के आकार व प्रकृति को देखते हुए यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा उक्त चोट आहत की मृत्यु कारित करने के आशय से मारी गयी हो। पी.ड. 06 डॉ. कमल मीणा ने भी अपनी जिरह में स्पष्ट किया है कि प्रदर्श पी.07 की कोई भी चोट प्राणघातक नहीं थी। इस प्रकार मेडीकल ज्यूरिष्ट के कथनों से भी आहत के कोई प्राणघातक चोट कारित होना प्रकट नहीं हो रहा है।

24– यहां पर यह भी विचारणीय तथ्य है कि अभियुक्त द्वारा आहत के मार्मिक अंग सिर पर एक ही चोट कारित की गयी है। अभियुक्त द्वारा आहत के मार्मिक अंग पर बार–बार वार किया जाना या अन्य चोटें कारित किया जाना प्रकट नहीं हो रहा है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि पी.ड. 01 बुद्धिप्रकाश द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में ही अभियुक्त द्वारा उसके सिर पर मारने पर स्वयं का गिर कर बेहोश हो जाना बताया है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पास इस बात का पर्याप्त अवसर था कि वह उसके मार्मिक अंग पर और अधिक चोटें कारित करता या मार्मिक अंग पर कोई गंभीर उपहति कारित करता, लेकिन ऐसा कोई तथ्य चिकित्सकीय साक्ष्य से या परिवादी के कथनों से प्रकट नहीं हो रहा है।

25– पी.ड. 02 ढोलकंवर जो परिवादी का पिता है, ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटना के समय वह घर पर सो रहा था, उसने मारपीट नहीं होते नहीं देखी। पी.ड. 03 विष्णु जो परिवादी का भाई है, ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटना के समय वह घर पर ही था। पी.ड. 04 आकाश ने घटना देखना बताया है, लेकिन उक्त गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में स्पष्ट किया है कि उसे डर लगा और वह डर के मारे भाग कर दुकानों की तरफ चला गया। इस प्रकार घटना के समय जब परिवादी का पिता व भाई मौके पर मौजूद नहीं थे। पी.ड. 04 आकाश भी डर के मारे दूर चला गया था तो वहां बीच–बचाव करने वाला कोई नहीं था। स्वयं परिवादी ने भी अपनी जिरह में इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कथन किया है कि मौके पर कोई मौजूद नहीं था। जहां घटना के समय कोई बीच–बचाव करने वाला मौजूद नहीं होना प्रकट हो रहा है तथा परिवादी ने ऐसा कोई कथन भी नहीं किया है कि किसी व्यक्ति

द्वारा बीच–बचाव कराया गया हो तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के पास इस बात का पर्याप्त अवसर था कि वह परिवादी/आहत के सिर पर और ज्यादा चोटें कारित करता या उसके मार्मिक अंग पर कोई गंभीर उपहति कारित करता, लेकिन पी.ड. 06 डॉ. कमल मीणा के कथनों व चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.07 से यह स्पष्ट है कि आहत के केवल एक ही चोट सिर पर कारित होना बतायी है जो भी साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बतायी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त का आशय आहत की मृत्यु कारित किये जाने का प्रकट नहीं हो रहा है।

26– **धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप के लिए अभियुक्त का आशय व ज्ञान महत्वपूर्ण है। साथ ही उन परिस्थितियों पर भी गौर किया जाना आवश्यक है, जिन परिस्थितियों में घटना कारित हुई है। इस संबंध में आहत के कारित चोटों की प्रकृति के साथ–साथ न्यायालय को यह भी देखना होता है कि अपराध कारित करने के लिए किस प्रकार के हथियार काम में लिये गये। चोट कारित करते समय आरोपित बल की मात्रा क्या थी, घटना अकस्मात थी या पूर्व विचारित थी। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अभियुक्तगण का आशय क्या था। इस संबंध में स्वयं आहत पी.ड. 01 बुद्धिप्रकाश ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि बजरंगलाल व उसके बीच पुराना कोई विवाद नहीं था। पी.ड. 02 ढोलकंवर व पी.ड. 03 विष्णु के कथनों से भी यह प्रकट हो रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पूर्व की कोई रंजिश नहीं थी। इस प्रकार आहत बुद्धिप्रकाश के साथ मारपीट करने की अभियुक्त की कोई पूर्व योजना होना दर्शित नहीं हो रहा है। एेसी स्थिति में अभियुक्त द्वारा परिवादी/आहत बुद्धिप्रकाश की मृत्यु कारित किये जाने का आशय होना प्रकट नहीं हो रहा है। परिवादी ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि घटना के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था। इस परिस्थिति में अभियुक्त के पास आहत के मार्मिक अंग पर और अधिक चोटें कारित करने का अवसर था, लेकिन ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार मेडीकल ज्यूरिष्ट पी.ड. 06 डॉ. कमल मीणा की साक्ष्य एवं आहत के चोट प्रतिवेदन से यह प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा आहत बुद्धिप्रकाश के मार्मिक अंग पर एक से अधिक बार वार किया हो या चोटें कारित की हों।

27– इस संबंध में **न्यायिक दृष्टांत बस्तीराम व अन्य बनाम स्टेट ओफ राजस्थान, 2007 क्रि.ला.ज. 3359** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

10. Section 308 IPC is 'per verba et literis', the same as Section 307 IPC, with the only difference that it relates to an attempt to commit culpable homicide whereas Section 307 relates to an attempt to commit murder. Punishment under Section 308 IPC as provided is consequently also

less. In other respects the constituting element of the two sections are the same.

28– इसी प्रकार न्यायिक निर्णय **हरिकिशन व अन्य बनाम सुखबीर सिंह व अन्य 1988 एआईआर 2127** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि –

Under s.307 IPC what the Court has to see is, whether the act irrespective of its result, was done with the intention or knowledge and under circumstances mentioned in that section. The intention or knowledge or the accused must be such as is necessary constitute' murder. Without this ingredient being established, there can be no offence of "attempt to murder". Under s. 307 the intention precedes the act attributed to accused. Therefore, the intention is to be gathered from all circumstances, and not merely from the consequences that ensue. The nature of the weapon used, manner in which it is used. motive for the crime, severity of the blow, the part of the body where the injury is inflicted are some of the factors that may be taken into consideration it, determine the intention. In this case, two parties in the course of a fight inflicted on each other injuries both serious and minor. The accused though armed with ballam never used the sharp edge of it. They used only the blunt side of it despite they being attacked by the other side. They suffered injuries but not provoked or tempted to use the cutting edge of the weapon. It is very very significant. It seems to us that they had no intention to commit murder. They had no motive either. The fight as the High Court has observed, might have been a sudden flare up. Where the fight is accidental owing to a sudden quarrel, the conviction under s. 307 is generally not called for.

29– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्त के प्रकाश में हस्तगत प्रकरण की साक्ष्य का विवेचन करें तो यह स्पष्ट है कि अभियुक्त बजरंगलाल की आहत बुद्धिप्रकाश से पूर्व की कोई दुश्मनी होना प्रकट नहीं हुआ है। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा कोई रंजिशवश मारपीट करना या पूर्व नियोजित योजना के अनुसार मारपीट करना प्रकट नहीं हो रहा है। आहत के मार्मिक अंग सिर पर केवल 01 ही चोट साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बतायी है। अन्य चारों चोटें कोहनी, पीठ, पैर व कंधे पर कारित होना बताया है, जो भी साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना बतायी हैं। आहत के कारित चोटों का नाप या आकार भी ऐसा नहीं है जो अभियुक्त द्वारा तीव्र प्रहार करने या अत्यधिक

बल से चोटें कारित करना दर्शाता हो। आहत बुद्धिप्रकाश के मार्मिक अंग सिर पर जो एक चोट कारित की गयी है, उसकी प्रकृति व आकार से भी यह प्रकट नहीं हो रहा है वह आहत की सामान्य परिस्थिति में मृत्यु कारित कर सकती हो। ऐसी स्थिति में अभियोजन साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं हो रहा है कि अभियुक्त बजरंगलाल ने इस आशय, ज्ञान व परस्थितियों में परिवादी/आहत बुद्धिप्रकाश के साथ मारपीट कर चोटें कारित की हों कि उसका आपराधिक मानव वध किया जा सके। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 308 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप से संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

विचारणीय बिन्दु संख्या (ii)–

30– जहां तक अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप है। इस संबंध में ऊपर किये गये साक्ष्य के विवेचन के अनुसार यह स्पष्ट है कि परिवादी पी.ड. 01 बुद्धिप्रकाश ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से अभियुक्त द्वारा उसे रास्ते में रोक कर मारपीट करना बताया है और बाद में सूचना मिलने पर उसके परिवार वालों द्वारा उसे अन्ता अस्पताल में लेकर जाने का कथन किया है। पी.ड. 01 बुद्धिप्रकाश ने दिनांक 26.09.2017 की घटना बतायी है और उसी दिन पर्चा बयान प्रदर्श पी.01 लेखबद्ध किया गया है, जिसमें उसने अभियुक्त बजरंगलाल द्वारा मारपीट किये जाने का स्पष्ट कथन किया है। पी.ड. 06 डॉ. कमल मीणा ने आहत की चोटों का मेडीकल मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी.07 बनाना बताया है और उसमें अंकित सभी पांच चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होने का कथन किया है। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्ष्य से भी आहत के कथनो की पुष्टि हो रही है।

31– अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 08 गोविन्द सिंह अभियुक्त बजरंगलाल की सूचना के अनुसार एक लोहे का सरिया जर्ये फर्द प्रदर्श पी.05 जप्त करना बताया है। बरामदगी के गवाह पी.ड. 05 बृजबिहारी ने भी अपने बयानों में इस तथ्य की पुष्टि की है। बरामदगी के अन्य गवाह पी.ड. 09 दीपेन्द्र सिंह ने भी अपने बयानों में अनुसंधान अधिकारी गोविन्द सिंह द्वारा अभियुक्त की दफा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सूचना के अनुसार एक लोहे का सरिया जर्ये फर्द प्रदर्श पी.05 स्वयं के सामने बरामद करना बताया है तथा बरामदशुदा सारिया आर्टिकल–01 की न्यायालय में पहचान की है। उक्त गवाहों से ऐसी कोई जिरह नहीं हुई है, जिससे उक्त बरामदगी पर संदेह किया जा सके।

32– अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह तर्क रहा है कि परिवादी ने अपने पर्चा बयान में लोहे के सरिया से मारपीट करना बताया है जबकि अपने बयानों में लोहे के पाईप से मारपीट किये जाने का कथन किया है जो परस्पर विरोधाभासी है। उक्त तर्कों के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि जब परिवादी शौच कार्य से निवृत होकर फोन पर बात करता हुआ घर की तरफ आ रहा था तब अभियुक्त द्वारा उसके मकान के सामने अचानक आहत के साथ

मारपीट की गयी थी। परिवादी ने अपने पर्चा बयान और न्यायालय में दिये गये बयानों में यह भी कथन किया है कि उसके सिर पर मारते ही वह बेहोश हो गया था। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा घटना का सम्पूर्ण फोटोग्राफिक वृतांत बताया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है। परिवादी ने घटना दिनांक 26.09.2017 की होना बतायी है और उक्त परिवादी के न्यायालय में बयान दिनांक 05.05.2023 को लगभग 05 वर्ष के लम्बे अंतराल के पश्चात् लेखबद्ध हुए हैं। जहां परिवादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है तो इतने लम्बे समय अंतराल के पश्चात् वह अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त हथियार से बारे में विस्मृति के कारण गलत कथन कर है तो केवल इसी आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन कहानी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

33– जहां परिवादी ने घटना के तत्काल पश्चात् दिये गये पर्चा बयान प्रदर्श पी.01 में अभियुक्त द्वारा लोहे के सरिया से मारपीट करना बताया है। अन्वेषण अधिकारी पी.ड. 08 गोविन्द सिंह द्वारा अभियुक्त की सूचना के अनुसार लोहे का सरिया बरामद किया गया है तो न्यायालय में परिवादी द्वारा लम्बे समय अंतराल के कारण बयानों में लोहे के सरिया के स्थान पर लोहे का पाईप कह देने मात्र के आधार पर ही सम्पूर्ण अभियोजन कहानी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि पी.ड. 01 बुद्धिप्रकाश ने अपने बयानों में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त का उससे पुराना कोई विवाद नहीं था। ऐसी स्थिति में परिवादी द्वारा अभियुक्त को झूठा फंसाये जाने का कोई कारण भी नजर नहीं आता है।

34– अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से यह भी तर्क रहा है कि प्रकरण में किसी स्वतंत्र गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की है। पी.ड. 04 आकाश के कथनों में भी विरोधाभास है, किंतु उक्त तर्क के संबंध में यह विचारणीय तथ्य है कि पी.ड. 01 बुद्धिप्रकाश ने स्वयं अपनी जिरह में कथन किया है कि घटना के समय वहां पर कोई उपस्थित नहीं था, ऐसी स्थिति में किसी प्रत्यक्षदर्शी गवाह द्वारा घटना नहीं देखा जाना प्रकट हो रहा है। हालांकि पी.ड. 04 आकाश भी घटना होने पर मौके से भाग जाना बता रहा है, लेकिन उक्त गवाह के कथनों से मारपीट होने व झगड़ा होने की हद तक अभियोजन कहानी की पुष्टि हो रही है। इसके अतिरिक्त चिकित्सकीय साक्ष्य से भी परिवादी के कथनों की पुष्टि हो रही है। ऐसी स्थिति में किसी स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह द्वारा घटना की पुष्टि नहीं करने के आधार पर ही अभियोजन कहानी पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।

35– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार पी.ड. 01 बुद्धिप्रकाश व पी.ड. 06 डॉ. कमल मीणा के कथनों से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को रास्ते में रोक कर उसका सदोष अवरोध कारित किया तथा उसके साथ कुंदालय से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहतियां कारित की। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 341, 323 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है।**

<u>विचारणीय बिन्दु संख्या (iii)–</u>

36– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध **धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में अभियोजन पर यह सिद्ध करने का दायित्व है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त किया एवं जातिसूचक गालियों से सम्बोधित कर साशय अपमानित किया हो। इस संबंध में सर्वप्रथम यह विचारणीय तथ्य है कि परिवादी/आहत बुद्धिप्रकाश द्वारा अपना जाति प्रमाण पत्र पत्रावली पर पेश कर प्रदर्शित नहीं करवाया है, ऐसी स्थिति में दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में यह स्पष्ट रूप से संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो रहा है कि परिवादी/आहत अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य हो।

37– इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय तथ्य है कि **धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप के लिए लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अपमानित किया जाना और जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया जाना तभी प्रमाणित माना जा सकता है जब किसी स्वतंत्र गवाह ने ऐसी किसी घटना की पुष्टि की हो। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने **सम्मानित न्यायिक दृष्टांत** ''**Daya Bhatnagar And Ors. vs State, 109(2004) DLT, 915** के पैरा–19 में यह अवधारित किया है किः–

19. The SC/ST Act was enacted with a laudable object to protect vulnerable section of the society. Sub–clauses (i) to (xv) of Section 3(i) of the Act enumerate various kinds of atrocities that might be perpetrated against Scheduled Castes and Scheduled Tribes, which constitute an offence. However, Sub–clause (x) is the only clause where even offending "utterances" have been made punishable. The Legislature required 'intention' as an essential ingredient for the offence of Insult', "intimidation' and "humiliation' of a member of the Scheduled Casts or Scheduled Tribe in any place within "public view'. Offences under the Act are quite grave and provide stringent punishments. Graver is the offence, stronger should be the proof. The interpretation which suppresses or evades the mischief and advances the object of the Act has to be adopted. Keeping this in view, looking to the aims and objects of the Act, the expression "public view" in Section 3(i)(x) of the Act has to be interpreted to mean that the public persons present, (howsoever small number it may be), should be independent and impartial and not interested in any of the parties. In other

words, persons having any kind of close relationship or association with the complainant, would necessarily get excluded. I am again in agreement with the interpretation put on the expression "public view" by learned brother Mr. Justice B.A. Khan. The relevant portion of his judgment reads as under:

"I accordingly hold that expression within 'public view' occurring in Section 3(i)(x) of the Act means within the view which includes hearing, knowledge or accessibility also, of a group of people of the place/locality/village as distinct from few who are not private and are as good as strangers and not linked with the complainant through any close relationship or any business, commercial or any other vested interest and who are not participating members with him in any way. If such group of people comprises anyone of these, it would not satisfy the requirement of 'public view' within the meaning of the expression used.

38– उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्तों के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि लोक दृश्य में आने वाले किसी स्थान पर परिवादी को अपमानित या अभित्रस्त करने तथा जातिसूचक गालियों से सम्बोधित करने का तथ्य तभी प्रमाणित माना जा सकता है जब किसी स्वतंत्र गवाह ने इस तथ्य की पुष्टि की हो। हस्तगत प्रकरण में पी.ड. 01 बुद्धिप्रकाश ने अभियुक्त द्वारा उसे मां–बहिन की गांलिया देना व जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करना बताया है, लेकिन उक्त गवाह ने अपनी जिरह में कथन किया है कि घटना के समय वहां पर कोई मौजूद नहीं था। ऐसी स्थिति में लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर अभियुक्त द्वारा परिवादी के साथ गाली–गलौंच किया जाना या जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया जाना प्रमाणित नहीं हो रहा है। घटना का एक मात्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी.ड. 04 आकाश होना बताया है जो अभियुक्त द्वारा गाली–गलौंच करने का कथन कर रहा है, लेकिन उक्त गवाह ने अपने बयानों में अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त शब्दों को स्पष्ट नहीं किया है। ऐसी स्थिति में इस गवाह के कथनों से यह स्पष्टतः प्रकट नहीं हो रहा है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को किन जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया। साथ ही उक्त गवाह यह भी कथन कर रहा है कि वह डर के मारे दुकानों की तरफ चला गया तो ऐसी स्थिति में उक्त गवाह द्वारा सम्पूर्ण घटना देखी गयी हो, यह संदेह परे प्रमाणित नहीं हो रहा है। पी.ड. 04 आकाश ने अपनी जिरह में यह भी कथन किया है कि बुद्धिप्रकाश की बाड़ी उसके घर के पास ही है। उक्त गवाह ने यह भी कथन किया है कि अदालत में उसे बुद्धिप्रकाश ही लेकर आया है। ऐसी स्थिति में यह गवाह परिवादी का पड़ौसी व अच्छा परीचित होना और इस प्रकार हितबद्ध गवाह होना प्रकट हो रहा है। अभियोजन की ओर से अन्य कोई स्वतंत्र गवाह साक्ष्य में पेश कर परीक्षित नहीं

करवाया गया है, ऐसी स्थिति में किसी स्वतंत्र गवाह के कथनों से इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो रही है कि अभियुक्त द्वारा परिवादी को लोक दृष्टि में आने वाले स्थान पर गाली–गलौंच कर अपमानित किया हो या जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित किया हो। **अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3(1)(r)(s) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

विचारणीय बिन्दु संख्या (vi)–

39– जहां तक अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा **3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** का आरोप है। इस संबंध में ऊपर किये गये विवेचन के अनुसार सर्वप्रथम दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में परिवादी का अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना संदेह से परे प्रमाणित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर ऐसी भी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता हो कि अभियुक्त परिवादी व उसके परिवार से परीचित हो और परिवादी की जाति का ज्ञान रखता हो। ऐसी स्थिति में यह भी संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है कि अभियुक्त ने परिवादी को अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य होना जानते हुए उसके साथ मारपीट कर धारा 3(2)(va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत अपराध कारित किया हो। **अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का आरोप संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है।**

40– अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के अनुसार अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु (ii) को अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल रहा है जबकि विचारणीय बिन्दु संख्या(i), (iii) व (iv) को अपने पक्ष में सिद्ध करनें में असफल रहा है। अतः उक्त विवेचन के अनुसार अभियुक्त बजरंगलाल को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **308 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा उक्त अभियुक्त को धारा **341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में दोषसिद्ध घोषित** किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–आदेश–

41– अतः अभियुक्त **बजरंगलाल पुत्र मूलचन्द माली, उम्र–61 साल (वर्तमान उम्र–68 साल), निवासी–भौराझेड़ी, थाना–अन्ता, जिला–बारां (राज.)** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **308 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(Va) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989** के आरोप से संदेह से परे

अभियोज्य साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिये जाने के आधार पर दोषमुक्त किया जाता है तथा उक्त अभियुक्त को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **341, 323 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप के लिए दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।** सजा के बिन्दु पर पृथक से सुना जावेगा।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

42– सजा के बिन्दु पर सुना गया।

43– विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से यह तर्क रहा है कि अभियुक्त का यह प्रथम अपराध है, उसके विरूद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धि नहीं है। इस बाबत अभियुक्त की ओर से शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि उसे पूर्व में किसी प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया है और न ही उसने किसी मामले में परिवीक्षा का लाभ प्राप्त किया है। अभियुक्त प्रकरण में लगभग 08 वर्ष से अन्वीक्षा भुगत रहा है एवं ग्रामीण परिवेश का गरीब व्यक्ति है। आहत के कोई गंभीर चोट कारित नहीं हुई है। अतः अभियुक्त के प्रति नरमी का रूख अपनाया जाए और उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाए।

44– इसके विपरीत विद्वान विशिष्ठ लोक अभियोजक ने विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त को आहत के साथ मारपीट करने के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है। अतः अभियुक्त को उचित दण्ड से दण्डित किया जाए।

45– उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

46– अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में दोषसिद्ध नहीं होने और परिवीक्षा का लाभ नहीं लेने बाबत शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अभियुक्त लगभग 08 वर्षों से प्रकरण में अन्वीक्षा भुगत रहा है। आहत बुद्धिप्रकाश के भी चोटें साधारण प्रकृति की होकर कुंद हथियार से कारित होना पायी गयी है तथा कोई गंभीर चोट कारित नहीं हुई है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

47– परिणामतः अभियुक्त **बजरंगलाल पुत्र मूलचन्द माली, उम्र–61 साल (वर्तमान उम्र–68 साल), निवासी–भौराझेड़ी, थाना–अन्ता, जिला–बारां (राज.)** को दोषसिद्ध अपराध अंतर्गत धारा **341, 323 भारतीय दण्ड संहिता** के आरोप के लिए तुरंत कारावास की सजा से दण्डित करने की बजाए **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–4** का लाभ इस

शर्त के साथ दिया जाता है कि यदि अभियुक्त **पच्चीस हजार रूपये** का बंधपत्र व इसी राशि की **एक जमानत दो वर्ष** की अवधि के लिए इस आशय की पेश कर तस्दीक कराए कि उक्त अवधि में वह शांति एवं सद्व्यवहार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा तलब करने पर उपस्थित होकर दण्ड भुगतेगा तो उसे परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

48– साथ ही **अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा–5** के अन्तर्गत अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि अभियुक्त अभियोजन व्यय के रूप में **1200/–रुपये अक्षरे एक हजार दो सौ रुपये** न्यायालय में जमा कराएगा। अभियुक्त से प्राप्त उक्त सम्पूर्ण अभियोजन व्यय की **राशि 1200/–रुपये आहत बुद्धिप्रकाश** को बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन बतौर क्षतिपूर्ति राशि दी जावे।

49– चूंकि आहत को उक्तानुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने का आदेश किया गया है। अतः प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत आहत को पृथक से कोई क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंषा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

50– अभियुक्त के न्यायालय में उपस्थिति बाबत् पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। अभियुक्त द्वारा धारा–437 ए दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अपीलीय न्यायालय में अपील होने की स्थिति में उपस्थित होने हेतु पन्द्रह–पन्द्रह हजार रूपये के जमानत मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करवाए जा चुके हैं, जो निर्णय की दिनांक से 6 माह के लिए प्रवृत्त रहेंगे।

51– प्रकरण में यदि कोई वजह सबूत व मालखाना हो तो बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जावे तथा अपील होने की सूरत में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार निस्तारित किया जावे।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)

52– निर्णय आज दिनांक 30.03.2026 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखाया जाकर उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(लोकेश कुमार शर्मा)
विशिष्ठ न्यायाधीश
अ.जा./ज.जा. (अ.नि.) प्रकरण
बारां, जिला बारां (राज.)